



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042023-245002
CG-DL-E-08042023-245002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1550]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945

No. 1550]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023

का.आ. 1628(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2131, दिनांक 06.05.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में NH22 के कि.मी. 146.300 से कि.मी.156.560 (O/o DC Shimla) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21 मई 2022" को "द ट्रिब्यून (अंग्रेजी)" और "अमर उजाला (हिन्दी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में NH22 के कि.मी. 146.300 से कि.मी. 156.560 (O/o DC Shimla) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: शिमला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शिमला (रूरल)				
	गांव का नाम: उपमहाल टिल्ला				
1	107	निजी	घासनी	0.2102	कुल भाग (2) भाग सतपाल पुत्र सरदारी लाल पुत्र कर्म चन्द (1) भाग आदित्य कुमार, अकशंश पुत्र व श्रीमति रजनी देवी विधवा अरुण कुमार पुत्र सरदारी लाल भाग बराबर (1) भाग स्थानीय वासी। (107)
2	108/1	निजी	घासनी	0.0624	कुल भाग (2) भाग सतपाल पुत्र सरदारी लाल पुत्र कर्म चन्द (1) भाग आदित्य कुमार, अकशंश पुत्र व श्रीमति रजनी देवी विधवा अरुण कुमार पुत्र सरदारी लाल भाग बराबर (1) भाग स्थानीय वासी। (108/1)
3	108/2	निजी	घासनी	0.3867	कुल भाग (2) भाग सतपाल पुत्र सरदारी लाल पुत्र कर्म चन्द (1) भाग आदित्य कुमार, अकशंश पुत्र व श्रीमति रजनी देवी विधवा अरुण कुमार पुत्र सरदारी लाल भाग बराबर (1) भाग स्थानीय वासी। (108/2)
4	69/1	निजी	बगीचा बाखल अवल फलदार	0.9116	कुल भाग (2) भाग सतपाल पुत्र सरदारी लाल पुत्र कर्म चन्द (1) भाग आदित्य कुमार, अकशंश पुत्र व श्रीमति रजनी देवी विधवा अरुण कुमार पुत्र सरदारी लाल भाग बराबर (1) भाग स्थानीय वासी। (69/1)
5	69/2	निजी	बगीचा बाखल अवल फलदार	0.353	कुल भाग (2) भाग सतपाल पुत्र सरदारी लाल पुत्र कर्म चन्द (1) भाग आदित्य कुमार, अकशंश पुत्र व श्रीमति रजनी

					देवी विधवा अरूण कुमार पुत्र सरदारी लाल भाग बराबर (1) भाग स्थानीय वासी। (69/2)
			कुल	1.9239	

[फा. सं. 11008/2/2012/LA/PIU-SML/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2023

S.O. 1628(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, declared its intension to acquire the land specified in the shedule annexed to the said notification bearing S.O 2130 (E) 6 May 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), for (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH22 on the stretch of land from Km 146.300 to Km 156.560 (O/o DC Shimla) in the district of SHIMLA in the state of HIMACHAL PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Tribune” (English) and “Amar Ujala (Hindi)” both dated 21 May 2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received objection filed under Section 3C and the same have been considered and decided by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH22 in the stretch of land from km 146.300 to km 156.560 NH22 (O/o DC Shimla) in the district of SHIMLA in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH			District: SHIMLA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shimla (Rural)				
	Village: UP MahalTilla				
1	107	Private	Ghasni	0.2102	Total Share (2) Share Satpal Son Sardari Lal S/o Karam Chand (1) Share

					Aditya Kumar, Akshansh Son & Smt. Rajni Devi Wd/o Arun Kumar S/o Sardari Lal Equal Share (1) Share local resident of the estate 107
2	108/1	Private	Ghasni	0.0624	Total Share (2) Share Satpal Son Sardari Lal S/o Karam Chand (1) Share Aditya Kumar, Akshansh Son & Smt. Rajni Devi Wd/o Arun Kumar S/o Sardari Lal Equal Share (1) Share local resident of the estate 108/1
3	108/2	Private	Ghasni	0.3867	Total Share (2) Share Satpal Son Sardari Lal S/o Karam Chand (1) Share Aditya Kumar, Akshansh Son & Smt. Rajni Devi Wd/o Arun Kumar S/o Sardari Lal Equal Share (1) Share local resident of the estate 108/2
4	69/1	Private	Bagicha Baakhal Awal Faldar	0.9116	Total Share (2) Share Satpal Son Sardari Lal S/o Karam Chand (1) Share Aditya Kumar, Akshansh Son & Smt. Rajni Devi Wd/o Arun Kumar S/o Sardari Lal Equal Share (1) Share local resident of the estate 69/1
5	69/2	Private	Bagicha Baakhal Awal Faldar	0.353	Total Share (2) Share Satpal Son Sardari Lal S/o Karam Chand (1) Share Aditya Kumar, Akshansh Son & Smt. Rajni Devi Wd/o Arun Kumar S/o Sardari Lal Equal Share (1) Share local resident of the estate 69/2
			TOTAL	1.9239	

[F. No. 11008/2/2012/LA/PIU-SML/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.